

राजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र

राजस्थान सरकार

चिकित्सा विभाग

राजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र नियम 70के मामले का विवरण का नाम.....

.....

(सिविल सर्जन या सरकारी मेडिकल अटेंडेंट के सामने प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये।)

नियुक्ति.....

आयु.....

पूर्व सेवा.....

अवकाश का पूर्व समय पहले चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अनुपस्थित रहा हो.....

आदतें.....

रोग.....

मैं..... का सिविल सर्जन या चिकित्सा अधिकारी मामले को व्यक्तिगत रूप से सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद एतद्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमति.....की दशा गम्भीर है तथा मैं शुद्धता पूर्वक एवं गम्भीरता पूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार स्वस्थ होने के लिए सेवा से उस पद पर अनुपस्थित रहना आवश्यक है तथा सिफारिश करता/करती हूँ कि उसेमाह का अवकाश स्वीकृत किया जावे।

मेरी राय में अधिकारी के लिए चिकित्सा मण्डल के सामने उपस्थित होना आवश्यक है/आवश्यक नहीं है।

दिनांक.....

सिविल सर्जन या राजकीय चिकित्सा अधिकारी